

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 81 / 2014

दायरा दिनांक : 27.05.2014

उनवान

रामप्रसाद पुत्र श्री रतन लाल, आयु 50 साल, जाति किराड, निवासी ग्राम ऊनी
तहसील शाहबाद, जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार केलवाडा, जिला बारां

.....रेस्पोंडेंट

बहस हेतु उपस्थिति :- अभिभाषक अपीलांट – श्री बृजराज सिंह
अभिभाषक रेस्पोंडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 03.04.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर शाहबाद के निर्णय दिनांक 19.05.2011 प्रकरण संख्या 36 / 2011 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार केलवाडा के प्रकरण सं0 142 / 2010 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.10.2010 से अपीलांट को ग्राम ऊनी, तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 6 बीघा, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 1 माह के सिविल कारावास की सजा एवं 90 / - रुपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शाहबाद द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.05.2011 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट के द्वारा अपील के साथ धारा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया । न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन की जाती है ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल खुशियारा की मौका रिपोर्ट दिनांक 23.02.2019 की मूल प्रति सलंगन है ग्राम ऊनी, तहसील शाहबाद के खसरा नम्बर 104 के रकबे 6 बीघा में से 3 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर प्रार्थी रामप्रसाद पुत्र रतन लाल, जाति किराड, निवासी ग्राम ऊनी द्वारा अपना कब्जा नहीं हटाया है । अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.05.2011 यथावत रखा जाता है ।

आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा